



**फर्द अहकाम**  
 उत्तराखण्ड न्यायालय बनाम कापुराक

न्यायालय सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) बामेर

संख्या 38/2024  
 मुख्यालय-जयपुर

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/4/24	<p>आज दिनांक 24/04/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02/05/24 को पेश हों।</p> <p>02/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता का निर्णय सुनने के बाद कोर्ट के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।</p>	<p align="right">               (अधिवक्ता)              2/5/24         </p> <p align="right">  </p>

**अंतिम डिक्री मुकदमा इक्टदाई**  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी )

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व इजलास श्यामा राठीड, आर.ए.एस

वाद संख्या : 38/2021

निर्णय दिनांक : 02.05.2024

1. प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये को-ट्रस्टी सुरभि भदोरिया पत्नी शैलेन्द्र भदोरिया जाति राजपूत निवासी मकान नं 8 कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फ्लोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली।

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र बदरी
2. प्रभात पुत्र बदरी
3. भौरी देवी पत्नी बदरी
4. मालीराम पुत्र बदरी
5. लल्लूराम पुत्र बदरी

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा पटवार हल्का बीलपुर तहसील आमेर जिला जयपुर।  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण



**वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

**निर्णय**

उभयपक्षकारान द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है तथा अवलोकन अनुसार प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिवत व उपयुक्त भी प्रदर्शित होती है। जिसके संदर्भ में किसी भी पक्ष द्वारा कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तहसीलदार आमेर की ओर से वाके ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 470 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 471 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 475 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 483 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नं 515 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नं 515/776 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.6400 हैक्टेयर के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कालूराम पुत्र बदरी हि. 1/8 प्रभात पुत्र बदरी हि. 1/8 भौरी देवी पत्नी बदरी हि. 1/8 मालीराम पुत्र बदरी हि. 1/8 लल्लूराम पुत्र बदरी हि. 1/8 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये को-ट्रस्टी सुरभि भदोरिया पत्नी शैलेन्द्र भदोरिया हि. 3/8 जाति राजपूत निवासी मकान नं 8 कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फ्लोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली जिला साउथ वेस्ट दिल्ली खातेदार।	470	0.37	चाही 2	9.44
		471	0.34	चाही 2	8.67
		475	0.33	चाही 2	8.42
		483	0.28	चाही 2	7.14
		515	0.27	बारानी 2	1.08
		515/776	0.05	बारानी 2	0.20
	कुल किता	6	1.64		

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	भौरी देवी पत्नी बदरी कालूराम प्रभात मालीराम लल्लूराम पि. बदरी हि. व हि जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	470	0.2614	चाही 2	6.68
		471	0.1536	चाही 2	3.91
		475	0.3300	चाही 2	8.42
		483	0.2800	चाही 2	7.14
	कुल किता 4				
2	प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये को-ट्रस्टी सुरभि भदोरिया पत्नी शैलेन्द्र भदोरिया हि. संपूर्ण जाति राजपूत निवासी मकान नं 8	470/1	0.1086	चाही 2	2.76
		471/1	0.1864	चाही 2	4.76
		515	0.2700	बारानी 2	1.08

कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फ्लोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली जिला साउथ वेस्ट दिल्ली। खातेदार।	515/776	0.05	बारानी 2	0.20
	कुल किता 4	0.6150		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ... का अदा करें।  
बसबा सेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.5.24 को जारी की गई।

दस्तखत .....

ओहदा **महायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर**  
मुख्यालय-जयपुर

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान				मीजान	

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।